**भारत सरकार**

**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 20**

**22.11.2011 को उत्तर के लिए**

**'हिमाचल प्रदेश के सीमेन्ट कारखाने की मंजूरी रद्द किया जाना'**

**20. श्री रशीद मसूद :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्रीयहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में लाफार्जी द्वारा स्थापित किये जाने वाले एक सीमेंट कारखाने की मंजूरी रद्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सीमेंट कारखाने को पहले किस आधार पर मंजूरी दी गई थी?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन )**

(क) और (ख) हिमाचल प्रदेश के गांव डाèपीएफ घांघेर और अलसिंदी, तहसील कारसॉग, जिला मंडी स्थित 'मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एकीकृत सीमेंट संयंत्र और कैप्टिव लाइमस्टोन, खान (सीमेंट-3.0 एमटीपीए, क्लिंनकर-2.00 एमटीपीए और लाइमस्टोन-3.0 एमटीपीए) को 08.06.2009 को पर्यावरणाèय स्वीकृति दी गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण (एनईएए) ने 2009 की अपील सं. 34 और 35 में दिनांक 30.08.2010 के अपने आदेश द्वारा 08.06.2009 को प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति रद्द कर दी थी ।

(ग) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अंतर्गत उपर्युक्त (क) और (ख) भागों में उल्लिखित प्रस्ताव का मूल्यांकन किया गया था और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन सहित निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय निर्धारित करते हुए जून, 2009 में इसे पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी ।

\*\*\*\*\*\*